

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदोसर जिला चित्तौडगढ राज0

पीठासीन अधिकारी- श्री शंकरलाल सालवी , आर.ए.एस.

मिसल नम्बर 196 / 2017

दिनांक 27-05-2019

उनवान

1. रमेशचन्द्र पिता चांदमल खटीक 40 वर्ष निवासी घोसुण्डा तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
2. मंजू देवी पत्नि रमेशचन्द्र खटीक 36 वर्ष निवासी घोसुण्डा तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ

.....वादीगण

॥ बनाम ॥

1. देव जी पिता कालू बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
2. हंगामी पिता कालू बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
3. मांगू पिता प्रताप बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
4. चतरभुज पिता प्रताप बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
5. मोहन पिता प्रताप बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
6. हेमराज पिता प्रताप वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
7. दाखी पत्नि भगवानलाल बलाई वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील भदोसर
8. नारायण लाल पिता पन्नालाल जीनगर निवासी घोसुण्डा तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदोसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित- श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकाकरी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया -

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम रेवलियाकलां पटवार हल्का रेवलियाखुर्द की खाता संख्या 72 की आराजी नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474 कुल किता-15 कुल रकवा 9.8900 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी अपने कब्जे माफिक काविज होकर काश्त कर रहा है। मगर खाता शामलाती होने से व बंटवाडा नही होने से फसल बोने से लेकर अवेरने तक विवाद होता रहता है। अतः माफिक हिस्सा बंटवारा कराया जावे

।

उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, जिला-चित्तौडगढ

प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । वाद कार्यवाही दिनांक 08-06-2018 को प्राथमिक स्तर पर डिकी किया गया तथा वाद वर्णित मौजा रेवलियाकलां की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया । आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिकी किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वाद वर्णित मौजा रेवलियाकलां की आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	रमेशचन्द पिता चान्दमल मन्जू देवी पत्नि रमेशचन्द खटीक साकिन घोसुण्डा के हिस्से में रहेगी	29/1	0.12	1.56
		30	0.28	3.64
		31	0.36	5.04
		34	3.18	12.72
	योग	किता-4	3.94	22.96
2	नारायणलाल पिता पन्नालाल जीनगर साकिन घोसुण्डा के हिस्से में रहेगी	29/2	0.43	5.59
		योग	किता-1	0.43
3	देवजी 238/492 हंगामी 110/492 पिता कालू मांगू 23/492 चतरभुज 23/492 मोहन 23/492 हेमराज 4/492 पिता प्रताप सालवी सा.देह दाखी पति भगवान 105/492 सालवी सा. रूपाखेडी के हिस्से में रहेगी	29मी	0.78	10.14
		32	0.13	1.82
		33	0.02	-
		465	1.63	21.19
		466	0.52	6.76
		467	0.07	-
		468	0.48	10.08
		469	0.29	6.09
		470	0.54	11.34
		471	0.17	3.57
		473	0.07	0.91
474	0.22	2.86		
	योग	किता-12	4.92	74.76

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिव किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड भदेसर
भदेसर, जिला-पितौरा

मूल वाद में डिक्री
(व्य०प्र०सं० के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज०)
बईजलास - श्री शंकरलाल सालवी, आर०ए०एस०,

उनवान

1. रमेशचन्द्र पिता चांदमल खटीक 40 वर्ष निवासी घोसुण्डा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. मंजू देवी पत्नि रमेशचन्द्र खटीक 36 वर्ष निवासी घोसुण्डा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....वादीगण

॥ बनाम ॥

1. देव जी पिता कालू बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. हंगामी पिता कालू बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. मांगू पिता प्रताप बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. चतरभुज पिता प्रताप बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
5. मोहन पिता प्रताप बलाई वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
6. हेमराज पिता प्रताप वयस्क निवासी रेवलियाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
7. दाखी पत्नि भगवानलाल बलाई वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील भदेसर
8. नारायण लाल पिता पन्नालाल जीनगर निवासी घोसुण्डा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा० का० अधि० 1955
प्रकरण सं०. 196/2017 ई०रे०

वादी की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से वकील - की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 29-11-2018 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हस्व फर्द बंटवारा वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा रेवलियाकंला की वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	रमेशचन्द्र पिता चान्दमल मंजू देवी पत्नि रमेशचन्द्र खटीक साकिन घोसुण्डा के हिस्से में रहेगी	29/1	0.12	1.56
		30	0.28	3.64
		31	0.36	5.04
		34	3.18	12.72
	योग	किता-4	3.94	22.96


उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

2	नारायणलाल पिता पन्नालाल जीनगर साकिन घोसुण्डा के हिस्से में रहेगी	29/2	0.43	5.59
	योग	किता-1	0.43	5.59
3	देवजी 238/492 हंगामी 110/492 पिता कालू मांगू 23/492 चतरभुज 23/492 मोहन 23/492 हेमराज 4/492 पिता प्रताप सालवी सा.देह दाखी पति भगवान 105/492 सालवी सा.रूपाखेडी के हिस्से में रहेगी	29मी 32 33 465 466 467 468 469 470 471 473 474	0.78 0.13 0.02 1.63 0.52 0.07 0.48 0.29 0.54 0.17 0.07 0.22	10.14 1.82 — 21.19 6.76 — 10.08 6.09 11.34 3.57 0.91 2.86
	योग	किता-12	4.92	74.76

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । यह आज दिनांक 27-05-2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।



(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदोतर, जिला-बिहोर